HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 691/2024

Dr. Laxmi Narayan Sharma S/o Shri Panna Lal Sharma,

----Petitioner

Versus

Smt. Shubhra Singh Additional Chief Secretary,

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Virendra Lodha
For Respondent(s)	:	Ms. Tanvisha Pant on behalf of Mr. Vigyan Shah, AAG Mr. Kuldeep Singh Rathore & Ms. Harshita Sharma on behalf of Ms. Mahi Yadav, AAG (Through V.C.)

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/02/2026

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रकट किया गया है कि वह याची को न्यायालय के आदेश की पालना में पेंशन देने को तत्पर हैं, परंतु याची द्वारा इस संदर्भ में जो ऑफलाइन पेंशन कुलक प्रस्तुत किया गया है, उसमें उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 17.10.2023 उल्लेखित की गई है तथा उनकी धर्मपत्नी की जन्मतिथि व नमूने हस्ताक्षर की पर्चियां, पहचान चिह्न व लंबाई का उल्लेख नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में याची को उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त संदर्भ में विभाग द्वारा जो आपत्ति प्रकट की गई है, वे उनके स्तर पर सर्विस बुक देखकर सत्यापित की जा सकती हैं और यदि याची ने इस प्रकार की कोई त्रुटि पेंशन तिथि में कारित की है, तो विभाग राजकीय रिकॉर्ड देखकर उसका अपने स्तर पर समाधान कर सकता है। इस प्रकार की त्रुटि दर्शित कर पेंशन न देना अपने आपमें प्रथमदृष्ट्या न्यायालय के आदेश की अवमानना प्रकट होता है।

जहां तक याची द्वारा नमूने हस्ताक्षर की तीन पर्चियां न देना उल्लेखित किया गया है, इस संदर्भ में याची द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रकट किया

RAJASTHAN HIGH COURT

गया है कि उनके द्वारा नमूने हस्ताक्षर की पर्चियां दे दी गई हैं तथा साथ ही पहचान चिह्न व लंबाई के संदर्भ में भी याची से पुनः मांग करना भी कदाचित न्यायोचित नहीं है और यह भी न्यायालय के आदेश की येनकेनप्रकारेण अवमानना करने की श्रेणी में आता है। विभाग स्वयं अपने स्तर पर इन तथ्यों का समाधान कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि वह, पेंशन विभाग द्वारा जो त्रुटियां लगाई गई हैं, उनका शीघ्रता से समाधान कर उन्हें प्रेषित करेगा और अनावश्यक रूप से याची को इस संदर्भ में तंग व परेशान नहीं करेगा।

याची का उत्तरदायित्व यहीं तक है कि वह अपनी धर्मपत्नी की जन्मतिथि व पेंशन कुलक में सेवानिवृत्ति की तिथि में संशोधन कर हस्ताक्षर करे, तदुपरांत संबंधित विभाग बिना किसी विलंब के सभी त्रुटियों का समाधान होते ही याची का पेंशन का प्रकरण संबंधित पेंशन विभग को भिजवाए और पेंशन विभाग उक्त के प्राप्त होते ही 7 दिवस में याची को पेंशन का भुगतान करेगा।

याची उपरोक्त संदर्भ में संबंधित विभाग के समक्ष दिनांक 27.02.2026 तक उपस्थित होवे और विभाग उक्त त्रुटियों का समाधान करने के उपरांत दिनांक 05.03.2026 तक उसे संबंधित पेंशन विभाग में प्रेषित करे और पेंशन विभाग नियमानुसार याची को उक्त पत्र प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस के अंतर्गत भुगतान करे।

प्रकरण दिनांक 16.03.2026 को सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 20